भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या : /ज0या0सं0 17/2023/भू0खनि0नि0/2023-24 दिनांक01 जून 2023

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 "रमेश लाल@रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16 मार्च 2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :– 10. We also direct the State to publish the mining, as well as, dredging plans of all mining and dredging activities being undertaken in the State, on the official website of the State, so that the public at large can access the same. All such plans shall also be displayed, in the area of mining/dredging, on advertising sites/ unipoles, providing the contact details of all the members of the District Anti Illegal Mining Force. **The State shall also create a portal, where all complaints about illegal mining and dredging can be lodged by the public at large, and the State shall create a system for redressing all such complaints expeditiously. Steps in this regard be taken before the next date, and compliance reported on affidavit before the next date**"......

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन मे राज्य क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण से सम्बन्धित जनसाधारण की शिकायतें प्राप्त किये जाने व उनके त्वरित निस्तारण हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल dgmappl.uk.gov.in मे Complaint Redressal Portal तैयार होने तक उक्त से सम्बन्धित शिकायतों को श्री अनुज कपरवाण, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई0टी0 सैल, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के मोबाईल नम्बर 8192802320 पर मैसेज/वॉट्सऐप के माध्यम से दर्ज करते हुए उनका त्वरित निस्तारण किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 5332/ज0या0सं0 17/2023/भू0खनि0ई0/2022-23, दिनांक 31 मार्च 2023 निर्गत किया गया। वर्तमान मे राज्य क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण से सम्बन्धित जनसाधारण की शिकायतें प्राप्त किये जाने व उनके त्वरित निस्तारण हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल dgmappl.uk.gov.in मे Complaint Redressal Portal तैयार कर दिया गया है।

अतः भविष्य मे राज्य क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण से सम्बन्धित जनसाधारण की शिकायतें प्राप्त किये जाने व उनके निस्तारण हेतु Complaint Redressal Portal पर दर्ज करते हुए उनका त्वरित निस्तारण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक।

संख्याः 1429/ज0या0सं0 17/2023/भू0खनि0नि0/2023-24 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त का परिचालन विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल dgmappl.uk.gov.in पर कराना सुनिश्चित करें।
4. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड।

01/07/2023
(एस0एल0 पैट्रिक)
निदेशक।